

## SC सूची को संशोधित करने में राज्यों की असमर्थता

### प्रलिस के लिये:

अनुसूचित जाति की स्थिति के लिये मानदंड, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, भारत का महारजसिद्दार

### मेन्स के लिये:

अनुसूचित जाति की स्थिति के लिये मानदंड और दलित ईसाइयों और मुसलमि व्यक्तियों को शामिल करने के पक्ष और वपिकष में तर्क

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(Supreme Court- SC\)](#) ने फैसला दिया कि राज्यों को संविधान के [अनुच्छेद 341](#) के तहत प्रकाशित [अनुसूचित जाति \(Scheduled Caste- SC\)](#) सूची में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।

- यह नरिणय ऐसे समय में आया है जब न्यायालय ने वर्ष 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें [तांती-तंतवा \(Tanti-Tantwa\)](#) समुदाय को [अनुसूचित जाति \(SC\)](#) के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की गई थी तथा इस तरह के वर्गीकरण को नरिंतरि करने वाले संविधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया था।

### नोट:

- तांती-तंतवा एक हट्टि जाति है जो भारत में बुनकर और कपडा व्यापारी समुदाय से संबंधित है। इस समुदाय की गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम तथा ओडिशा जैसे राज्यों में महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है।

## मामले की पृष्ठभूमि और सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय क्या है?

- मामले की पृष्ठभूमि:
  - तांती-तंतवा समुदाय को पहले बिहार पदों और सेवाओं में रकितियों का आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पछिडे वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 के तहत अत्यंत पछिडा वर्ग (Extremely Backward Class- EBC) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  - 1 जुलाई, 2015 को बिहार सरकार ने राज्य पछिडा वर्ग आयोग (State Commission for Backward Classes- SCBC) की सफिरशि के आधार पर तांती-तंतवा समुदाय को SC सूची में वलिय करने का प्रस्ताव जारी किया।
  - इस नरिणय का उद्देश्य तांती-तंतवा समुदाय को [अनुसूचित जाति का लाभ पहुँचाना था और इसे 2017 में पटना उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था](#), लेकिन बाद में इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:
  - अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति सूची में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है।
    - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341(1) भारत के [राष्ट्रपति](#) को वभिन्नि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति नरिदषिट करने की शक्ति प्रदान करता है।
    - अनुच्छेद 341(2) [संसद](#) को इस सूची को संशोधित करने का अधिकार देता है। इस प्रकार, SC सूची में किसी भी बदलाव के लिये [संविधान में संशोधन की आवश्यकता](#) होती है।
  - न्यायालय ने कहा कि बिहार सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और भारत के महापंजीयक से परामर्श नहीं किया, जिन्होंने

तांती/तंतवा को अनुसूचति जातकी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।

- न्यायालय ने राज्य सरकार की अधिसूचना को "दुरभावनापूर्ण" और अक्षम्य "शरारत" करार दिया, जिससे वास्तविक अनुसूचति जातके सदस्यों को उनके उचित लाभों से वंचित किया गया।
- न्यायालय ने प्रस्ताव को रद्द तो कर दिया, लेकिन प्रस्ताव से पहले ही लाभान्वित हो चुके लोगों के मामले में संतुलित रुख अपनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि ऐसे व्यक्तियों को उनकी मूल ईबीसी श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिये और जिन एससी कोटे के पदों पर वे बैठे थे, उन्हें एससी श्रेणी में वापस कर दिया जाना चाहिये।
- **सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के नहितारथ:**
  - यह नरिणय **संवैधानिक योजना** की पुष्टिकरता है, जिसके अनुसार केवल **संसद** ही अनुसूचति जातकी सूची में परिवर्तन कर सकती है तथा राज्य सरकारें एकतरफा तरीके से उसमें **बदलाव नहीं** कर सकती हैं।
  - यह नरिणय **वास्तविक अनुसूचति जातसदस्यों** के हितों की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करके कि उनके लिये नरिधारित लाभ अन्य समुदायों को न दिये जाएँ।
  - यह नरिणय एससी सूची के संबंध में **वधिनमंडल और कार्यपालिका की शक्तियों** को स्पष्ट रूप से चित्तरित करके शक्तके पृथक्करण को बरकरार रखता है।
  - यह अन्य राज्यों के लिये एक मसाल बन सकता है जो एससी/एसटी सूचियों में अनधिकृत परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरे देश में एक आम मुद्दा है।

## अनुसूचति जात (SC) सूची में संशोधन/परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है?

- **अनुसूचति जातसूची में संशोधन/परिवर्तन की प्रक्रिया:**
  - **पहल और जाँच:** राज्य सरकार किसी समुदाय को अनुसूचति जातकी सूची में शामिल करने या बाहर करने का प्रस्ताव करती है, जिसकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जाँच की जाती है।
    - इसके बाद प्रस्ताव का सामाजिक-आर्थिक कारकों और ऐतिहासिक आँकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भारत के महापंजीयक की भी राय ली जाती है।
  - **वशिषज्ज परामर्श और मंत्रमिंडल की मंजूरी:** राष्ट्रीय अनुसूचति जात आयोग (NCSC) प्रस्ताव पर वशिषज्ज अनुशंसाएँ प्रदान करता है।
    - इसके पश्चात् मंत्रमिंडल NCSC की अनुशंसाओं और अन्य कारकों पर वचिर करते हुए प्रस्ताव की समीक्षा करता है तथा प्रस्तावति संशोधनों के लिये मंजूरी प्रदान करता है।
  - **संसदीय प्रक्रिया:** संसद में एक संवैधानिक संशोधन वधियक पेश किया जाता है जिसमें अनुसूचति जातसूची में प्रस्तावति संशोधनों का वविरण दिया जाता है।
    - इस वधियक के पारति होने के लिये **वशिष बहुमत** की आवश्यकता होती है यानी दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों का बहुमत तथा साथ ही प्रत्येक सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का बहुमत।
  - **राष्ट्रपतकी स्वीकृति और करयान्वयन:** दोनों सदनों द्वारा पारति होने के बाद वधियक को राष्ट्रपतके पास स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। राष्ट्रपतद्वारा स्वीकृति दिये जाने के उपरांत अनुसूचति जातसूची में किये गए संशोधन आधिकारिक रूप से करयान्वति हो जाते हैं।
- **अनुसूचति जातसूची में शामिल किये जाने हेतु मानदंड:**
  - असपृश्यता की परंपरागत प्रथा से समुदायों में उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पछिड़ापन।

## भारत का महारजसिद्दार

- भारत के महारजसिद्दार कार्यालय की स्थापना **वर्ष 1961** में **गृह मंत्रालय** के अधीन भारत सरकार द्वारा की गई थी।
  - यह **भारत की जनगणना** और **भारतीय भाषाई सर्वेक्षण** सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन तथा वशिषलेषण करता है।
- रजसिद्दार का पद प्रायः **संयुक्त सचिव** के पद पर कर्यरत सविलि सेवक द्वारा धारण किया जाता है।

## अनुसूचति जातके उत्थान से संबंधति संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 15(4)** अनुसूचति जातियों की उत्थान के लिये **वशिष प्रावधान** करता है।
- **अनुच्छेद 16(4A)** राज्य सेवाओं में पदों पर **पदोन्नति** में उन अनुसूचति जातियों/अनुसूचति जनजातियों के लिये **आरक्षण** की अनुमति देता है जिनका प्रतनिधित्व कम है।
- **अनुच्छेद 17 असपृश्यता** को समाप्त करता है।
- **अनुच्छेद 46** राज्य को अनुसूचति जातियों और अनुसूचति जनजातियों के **शैक्षिक तथा आर्थिक हितों** को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से संरक्षित करने का नरिदेश देता है।
- **अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332** में क्रमशः **लोकसभा और राज्य वधिनसभाओं** में अनुसूचति जातियों तथा अनुसूचति जनजातियों के लिये **आरक्षण** का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 335** यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाओं में नयिकृतियों करते समय प्रशासन कार्य पटुता बनाए रखने की संगति के

अनुसार अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के सदस्यों के दावों पर वचिर कयिा जाए ।

- भाग IX (पंचायतें) और भाग IXA (नगर पालकियाँ) स्थानीय शासन नकियाँ में अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के लयि आरक्षण का प्रावधान करते हैं ।
  - अनुच्छेद 243D(4): यह प्रावधान पंचायतों (स्थानीय स्वशासन संस्थाओं) में अनुसूचति जातयिों के लयि क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण को अनविर्य बनाता है ।
  - अनुच्छेद 243T(4): यह प्रावधान नगर पालकियाँ (शहरी स्थानीय नकियाँ) में अनुसूचति जातयिों के लयि उस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण सुनश्चित करता है ।

#### दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में अनुसूचति जातयिों, अनुसूचति जनजातयिों एवं अन्य पछिड़े वर्गों के सामाजकि-आर्थकि उत्थान के लयि उपलब्ध संवैधानकि सुरक्षा उपाय और योजनाएँ क्य़ा हैं?

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

#### ??????:

प्रश्न. यद किस्ी वशिष्ट क्षेत्र को भारत के संवधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो नमिनलखिति कथनों में कौन-सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? (2022)

- (a) इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर-जनजातीय लोगों को अंतरति करने पर रोक लगेगी ।
- (b) इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी नकिया का सृजन होगा ।
- (c) इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा ।
- (d) ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य घोषति कयिा जाएगा ।

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के संवधान की कसि अनुसूची के तहत खनन के लयि नजिी पार्टयिों को आदविसी भूमकि हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषति कयिा जा सकता है? (2019)

- (A) तीसरी अनुसूची
- (B) पाँचवी अनुसूची
- (C) नौवी अनुसूची
- (D) बारहवी अनुसूची

उत्तर: (B)

#### ??????:

प्रश्न. वर्ष 2001 में आर.जी.आई. ने कहा कि दलति जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तति हो गए हैं, वे एक भी जातीय समूह नहीं हैं क्य़ोंकि वे वभिनिन जातिसमूहों से संबधति हैं । इसलयि उन्हें अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अनुसार अनुसूचति जातिसूची (SC) की सूची में शामिल नहीं कयिा जा सकता है, जसिमें शामिल करने हेतु एकल जातीय समूह की आवश्यकता होती है । (2014)

प्रश्न. क्य़ा राष्ट्रीय अनुसूचति जातियायोग (NCSC) धार्मकि अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचति जातयिों के लयि संवैधानकि आरक्षण के क्रयान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजयि । (2018)